राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग जयपुर

(जी.3, राजमहल रेजीडेन्शियल एरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, सी–स्कीम जयपुर–302015)
टेलीफैक्स.0141–2222403, ईमेल–**dlbrajasthan@gmail.com** वेबसाईट **www.lsg.urban.rajasthan.gov.in**

क्रमांकः– SPL-2 जयपुर, दिनांकः– 02.04.2020

आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी
नगर निगम/परिषद्/पालिका
समस्त राजस्थान।

विषयः–वैश्विक महामारी कोरोना वायरस (COVID-19) के प्रभाव को नियंत्रण करने हेतु साफ–सफाई सम्बन्धी कार्य में लगे कार्मिकों को सुरक्षा उपकरण क्रय करने हेतु 1000/– रूपये की राशि स्वीकृत करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस (COVID-19) के फैलाव को नियंत्रित करने हेतु पूर्व में समय–समय पर आदेश जारी कर साफ–सफाई एवं स्वच्छता बनाये रखने तथा सोडियम हॉइपोक्लाराईट के छिड़काव के निर्देश दिये गये हैं। विभाग द्वारा उक्त कार्यों हेतु फायर बिग्रेड वाहनों का प्रयोग कर सड़कों को धुलवाने एवं सोडियम हॉइपोक्लाराईट के छिड़काव हेतु भी निर्देशित किया गया था।

पूर्व में नगरीय निकायों में कार्यरत कार्मिकों की स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की दृष्टि से सफाई कार्य में लगे सफाई कर्मचारियों, जमादारों एवं स्वास्थ्य निरीक्षक को मास्क, सैनेटाईजर, साबुन, दस्ताने क्रय करने हेतु 1000/– रूपये नकद भुगतान की स्वीकृति दी गई थी।

चूंकि उक्त कोरोना वायरस से फायर बिग्रेड पर कार्यरत फायरमैन एवं फायर वाहन चालक एवं कचरा परिवहन में प्रयुक्त वाहनों पर कार्यरत चालकों की सुरक्षा भी महत्वपूर्ण है। अतः माननीय मंत्री महोदय के निर्देशानुसार स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की दृष्टि से उक्त कार्य में लगे फायरमैनों, फायर वाहन चालकों एवं कचरा परिवहन में प्रयुक्त वाहनों पर कार्यरत चालकों को मास्क, सैनेटाईजर, साबुन, दस्ताने क्रय करने हेतु 1000/– रूपये नकद भुगतान की स्वीकृति दी जाती है। उक्त भुगतान नगर पालिका कोष से किया जावें।

यह आदेश स्थाई/अस्थाई/ठेका/संविदा पर कार्यरत उन सभी फायरमैन, फायर वाहन चालक एवं कचरा परिवहन में लगे चालकों पर लागू होगा, जो इस कार्य में लगे हुये है। जिन फायरमैन, फायर वाहन चालकों एवं कचरा परिवहन में लगे चालकों को कार्य व्यवस्था की दृष्टि से अन्य कार्य में लगाया हुआ है, यह आदेश उन पर लागू नहीं होगा।

(उज्ज्वल राठौड़)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांकः– SPL-2 जयपुर, दिनांकः– 02.04.2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।

निदेशक एवं संयुक्त सचिव